भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2104

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम योजना का कार्यान्वयन और प्रभाव

2104. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम-प्रणाम योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसमें भाग लेने वाले संघ राज्यों क्षेत्रों की वर्ष-वार सूची क्या है और रासायनिक उर्वरक की खपत में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी कमी आई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को जारी किए गए बचत को दर्शाते हुए उर्वरक राजसहायता में कुल कितनी बचत हुई है इस निधि का उपयोग अवसंरचना, वैकल्पिक उर्वरकों और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए किस प्रकार किया गया है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार उत्पादित, वितरित अथवा प्रोत्साहित किये गये वैकल्पिक उर्वरकों (जैव-उर्वरक, नैनो-उर्वरक, जैविक उर्वरक) की मात्रा कितनी है और उनके प्रकार क्या हैं;

(घ) मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक खपत के पैटर्न, फसल उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता पर इस योजना के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार का देश भर में वैकल्पिक उर्वरकों और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का विस्तार करने अथवा अतिरिक्त उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है।

सभी राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र पीएम-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत आते हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों में की औसत खतप की तुलना में, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी की खपत में कमी लाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के समतुल्य है। कुल अनुदान में से 95% राज्यों को दिया जाएगा, जबकि शेष 5% का उपयोग भारत सरकार द्वारा आपदा-समायोजित प्रोत्साहनों के लिए किया जाएगा। राज्यों को प्रदान किए गए 95% अनुदान में से 65% पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) परियोजनाओं के लिए है, विशेषकर केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीमों में अंशदान के तौर पर, और 30% अन्य कार्यकलापों के लिए है, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पहल शामिल हैं।

(घ): भारत सरकार, सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी करने हेतु वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता स्कीम के माध्यम से उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है। मिट्टी के नमूनों का मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार एसएचसी जारी किए जाते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) ने आगे बताया है कि देश भर में 8302 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं और 1020 स्कूल मिनी प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की मदद से अब तक 25.61 करोड़ एसएचसी बांटे जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत कुल ₹1970 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, साथ ही व्यापक स्तर पर जनसंपर्क गतिविधियां भी की गई हैं, जिनमें 93781 किसान-प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन और 7425 किसान मेले/अभियान शामिल हैं।

(ङ.): सरकार देश भर में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, जैव-उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध साधनों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें लागू कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता बढ़ाना और असंतुलित उर्वरकों के उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है।

संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम किसानों को 12 आवश्यक मानदंडों पर मृदा परीक्षण पर आधारित जानकारी देती है, जिससे पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए फसल-विशिष्ट सुझाव मिलते हैं। यह नाइट्रोजन जैसे रसायन के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करते हुए उर्वरकों के उचित और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देती है। सरकार "3Rs" सिद्धांत के अनुसार पोषक तत्वों की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले और इनऑर्गेनिक पोषक तत्वों के स्रोत के मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देकर समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को भी सुदृढ़ कर रही है। इसके अलावा, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के तहत गुणवता नियंत्रण उपाय मृदा की उर्वरता को बढ़ाने वाले विश्वसनीय और प्रमाणित जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। नीम-लेपित यूरिया (एनसीयू) के शुरू होने से इसके धीर-धीरे स्राव के कारण नाइट्रोजन के उपयोग की क्षमता और बेहतर हुई है, जिससे वाष्पीकरण और लीचिंग से होने वाले नुकसान कम होते हैं।

इसी तरह, सरकार सतत खेती की पद्धतियों को सुदृढ़ करने के लिए जैव उर्वरकों और जैविक आदानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत,

किसानों को जैविक खेती की पद्धतियों को अपनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि में प्रति हेक्टेयर ₹50,000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है, जिसमें जैव-उर्वरक, केंचुआ-खाद (वर्मीकम्पोस्ट) और जैव-कीटनाशक खरीदना शामिल है। इसी तरह, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों को सशक्त बनाने के लिए जैविक खेती, प्रसंस्करण और मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देती है। गोबर-धन पहल बायोगैस और कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों से किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम) तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम) फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) जैसे जैविक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देकर एक सहायक भूमिका निभाती है, जिससे कचरा कम होता है और किसानों को किफायती पोषक तत्वों के स्रोत मिलते हैं।

इसके अलावा, किसानों, स्थानीय किसान सहकारी समितियों, पंचायतों आदि के साथ व्यापक क्षेत्रीय चर्चाओं के लिए उर्वरक कंपनियों द्वारा किसान संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। 25 उर्वरक विपणन कंपनियों (एफएमसी) ने फरवरी 2025 से नवंबर 2025 के दौरान देश भर में 11,587 शिविर/किसान संगोष्ठी आयोजित की। उर्वरक कंपनियों द्वारा पीएम-प्रणाम के तहत एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम को बढ़ावा देने के लिए शिविर/किसान संगोष्ठी आयोजित की जा रही हैं।

****